

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 986/09

संस्थित दिनांक-18.12.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

दिनेश पुत्र ओमप्रकाश दौहरे उम्र 27 साल  
निवासी मछण्ड थाना रौन जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 08.02.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, एवं 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 31.10.09 को 3:20 बजे ग्राम बिरखडी के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-07 एच0बी0-1012 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी जितेन्द्र कुमार को मोटरसाईकिल सहित टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी जितेन्द्र अपने गांव से भिण्ड होकर ग्वालियर दिनांक 31.10.09 को बिना नंबर की मोटरसाईकिल से जा रहा था। करीब दिन के 3:30 बजे ग्राम बिरखडी के पास गोहद चौराहा थाना अंतर्गत एक ट्रक क्र0 एम0पी0-07 एच0बी0-1012 को उसका चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी/आहत जितेन्द्र को चोटें आई। पीछे से उसके भाई अनिल व बबलू आ रहे थे जिन्होंने घटना देखी। ट्रक चालक ट्रक को भगा ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-184/09 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए, नक्शामौका बनाया गया। वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.10.09 को 3:20 बजे ग्राम बिरखडी के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-07 एच0बी0-1012 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर आहत जितेन्द्र के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर जितेन्द्र को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र अ0सा0 1, बबलू अ0सा0 2 डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3, बालकृष्ण अ0सा0 4, अनिल त्यागी अ0सा0 5 व रामकरन शर्मा अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष //**

6. फरियादी जितेन्द्र अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 31.10.09 को दिन के ढाई तीन बजे भिण्ड से अपनी मोटरसाईकिल से ग्वालियर जा रहे थे। जैसे ही उनकी मोटरसाईकिल डांग विरखडी के पास आई तो एक ट्रक वाला ट्रक को बहकाते हुए आया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसका दायां पैर टूट गया और पेट में चोट आई जिसका आपरेशन हुआ था। साक्षी यह कथन करता है कि उसे दुर्घटना के दो दिन बाद ग्वालियर अस्पताल में होश आया था। गोहद चिकित्सालय में परीक्षण के संबंध में जानकारी न होना बताता है। बबलू अ0सा0 2 जो कि जितेन्द्र अ0सा0 1 का भाई बताया गया है, वह कथन करता है कि उसकी मोटरसाईकिल के आगे जितेन्द्र ग्वालियर जा रहा था। बिरखडी के पास जितेन्द्र का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक से एक्सीडेंट होना बताता है किन्तु यह न देख पाना बताता है कि ट्रक कैसे चल रहा था। जितेन्द्र के शरीर में दाहिनी आंख, पैर व पेट में चोट आने का कथन करता है। अन्य साक्षी अनिल अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि बिरखडी के नीम के पेड़ के पास पहुंचे तब एल0पी0 ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसमें जितेन्द्र को पैर व छाती में चोट आना बताते हैं।

7. डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 31.10.09 को सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहे के आरक्षक केदार नं0-86 द्वारा लाए जाने पर आहत जितेन्द्र का परीक्षण करने पर उसे दायी आंख के बाहरी भाग में 3 गुणा 0.5 गुणा 0.3 का फटा हुआ घाव, पीठ में 3 गुणा 4 सेमी0 का रगड़ निशान, दाए घुटने पर 3 गुणा 2 गुणा 0.5 सेमी0 का फटा घाव, दाए पैर के नीचे एक तिहाई भाग में फटा घाव जिससे हड्डी टूटी दिख रही थी तथा दांयी जांघ में 6 गुणा 0.8 गुणा 0.3 सेमी0 का फटा हुआ घाव

दिख रहा था जिसमें अंतिम दोनों चोटों के लिए एक्सरे की सलाह दिए जाने का कथन करते हैं और परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 2 तैयार कर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में आहत जितेन्द्र अ0सा0 1, साक्षीगण बबलू अ0सा0 2 एवं अनिल अ0सा0 5 तथा चिकित्सक डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 से अभियुक्त की ओर से आहत को पाई चोटों के संबंध में कोई खण्डनात्मक सुझाव नहीं दिया गया है और न ही चोटों के कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती दी गयी है। ऐसे में आहत को आई चोटें प्रमाणित हो जाती है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से दफ़्तर की धारा 294 के अधीन एक्सरे रिपोर्ट को स्वीकार किया है। ऐसे में एक्सरे रिपोर्ट प्रमाणित हो जाती है जिनके आधार पर आहत जितेन्द्र त्यागी को दुर्घटना जनित अस्थिभंग कारित होना भी प्रमाणित है। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत को आई चोटे अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण ढंग से वाहन ट्रक के द्वारा चलाकर टक्कर मारने से कारित हुई थी?

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 3 का निष्कर्ष //**

8. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थिति में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी जितेन्द्र अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में ट्रक चालक द्वारा बहकाते हुए आकर टक्कर मार देने का कथन किया गया है किन्तु अपने अभिसाक्ष्य में न तो कथित ट्रक का नंबर बताते हैं और न ही यह कथन करते हैं कि अभिकथित ट्रक को कौन चला रहा था। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह भी कथन करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्राथमिकी प्र0पी0 1 किसने लिखाई और उसमें क्या लिखा था तथा साक्षी यह भी कथन करते हैं कि उन्होंने ट्रक का नंबर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में उक्त ट्रक के चालक को न देख पाने का भी कथन करते हैं। साक्षी बबलू अ0सा0 2 जो कि प्राथमिकी प्र0पी0 1 के अनुसार घटना का साक्षी है, वह बताते हैं कि उन्होंने नहीं देख पाया कि ट्रक कैसे चल रहा था और साक्षी यह कथन करते हैं कि गांव वालों ने बताया था कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था। इसके विपरीत कथन करते हुए यह बताते हैं कि उन्होंने ट्रक वाले को मौके पर पकड़ लिया था। ऐसे में यदि साक्षी द्वारा ट्रक चालक को मौके पर पकड़ा तो फिर साक्षी द्वारा गांव वालों के बताने पर उसके चालक के नशे में होने का कथन परस्पर विरोधाभासी है। यह साक्षी भी अपने पुलिस कथन प्र0डी0-1 में ट्रक का नंबर पुलिस को न लिखाए जाने का तथ्य प्रकट करता है।

9. प्रकरण में साक्षी अनिल त्यागी अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे व बबलू त्यागी आहत जितेन्द्र के साथ भिण्ड से ग्वालियर आ रहे थे और साक्षी गाड़ी चला रहा था तथा बबलू उसकी मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था। वे लोग बिरखडी के नीम के पेड़ के पास पहुंचे तब एल0पी0 ट्रक नंबर एम0पी0-07, एच0पी0-1012 द्वारा तेजी से चलकर जितेन्द्र की गाड़ी में टक्कर मार दी थी। साक्षी के कथन के अनुसार वह व बबलू अलग मोटरसाईकिल पर थे व आहत

जितेन्द्र अलग मोटरसाईकिल पर था। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बिरखडी पहुंचने पर उसके एवं आहत जितेन्द्र की गाडी में करीब आधा किलोमीटर का अंतर होने का कथन करते हैं। प्रकरण में साक्षी अनिल अ0सा0 5 आहत जितेन्द्र का चचेरा भाई है जो घटना में लिफ्ट ट्रक का नंबर बताता है किन्तु अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित ट्रक कौन चला रहा था इसका कोई भी कथन नहीं करता है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि स्वयं आहत जितेन्द्र अ0सा0 1 ट्रक व उसके चालक को नहीं जानता व बबलू अ0सा0 2 भी उसे नहीं जानते। बबलू अ0सा0 2 जो कि स्वयं साक्षी अनिल अ0सा0 5 के साथ बैठा होना बताया है, वह ड्रायवर को नहीं पहचानता है और न ही पुलिस को कोई नंबर बताता है। ऐसे में साक्षी अनिल जो स्वयं भी उक्त साक्षी के साथ एक ही गाडी पर था, उसके द्वारा अभिकथित वाहन की अपराध में संलिप्तता का कथन किये जाने का कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। साक्षी अनिल अ0सा0 5 आहत जितेन्द्र की गाडी का नंबर नहीं बता सकता है और न ही अभिकथित एक्सीडेंट होने की घटना देखने और घटनास्थल तक पहुंचने के मध्य कौन कौनसी गाडियों को देखा, इसका कोई कथन करता है। ऐसे में साक्षी का अभिसाक्ष्य उसका नैसर्गिक कथन दर्शित नहीं होता है।

10. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता बालकृष्ण अ0सा0 4 हैं जो कि दिनांक 31.10.09 को प्राथमिकी प्र0पी0 1 उनके द्वारा लेख किया जाना और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि आहत जितेन्द्र एवं साक्षी बबलू द्वारा कथन देते समय चालक का रंग रूप नाम पता कोई तथ्य नहीं बताया था। यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उक्त वाहन के स्वामी का कोई प्रमाणीकरण इस आशय का नहीं लिया कि अभियुक्त घटना दिनांक 31.10.09 को कथित ट्रक को चला रहा था। अभियुक्त से वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाए जाने का कथन अवश्य करते हैं किन्तु किसी व्यक्ति से संपत्ति जब्त हो जाने से वह वाहन उसी के द्वारा घटना दिनांक को सुसंगत समय पर चलाया जा रहा हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाता है। रामकरन अ0सा0 5 मैकेनिकल जांचकर्ता हैं जो दिनांक 01.11.09 को जब्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच करने पर उसके चालू हालत में होने, पिछली दोनों लाईट बंद होने तथा सामने बंपर पर खरोंच होने का कथन करते हुए शेष सभी सिस्टम सही ढंग से काम करने का कथन करते हैं। उनके अभिसाक्ष्य से भी अभियोजन के मामले को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11. प्रकरण में प्राथमिकी प्र0पी0 1 के संबंध में प्राथमिकीकर्ता जितेन्द्र अ0सा0 1 द्वारा उसमें कथित ट्रक का कोई भी नंबर लिखाए जाने से इंकार किया गया है। साथ ही पुलिस को ट्रक का नंबर बताए जाने से इंकार किया है। यह सुस्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया



कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधि० की धारा 145 के अनुसार विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाकर साक्षीगण के साक्ष्य का विरोधाभास एवं लोप के संबंध में ध्यान आकर्षित नहीं कराया गया है किन्तु साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से वाहन का नंबर पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करना प्राथमिकी एवं पुलिस कथन में गंभीर विरोधाभास को स्पष्ट करता है।

11. प्रकरण में किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त के अभिकथित दिनांक 31.10.09 को सुसंगत समय दिन के करीब 3:20 बजे वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में अभिलेख पर कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता बालकृष्ण अ०सा० 4 द्वारा भी अभियुक्त के द्वारा उक्त दिनांक व सुसंगत समय पर वाहन चलाए जाने के तथ्य को प्रमाणित किए जाने हेतु साक्ष्य एकत्रित नहीं की गयी है। साक्षी अनिल अ०सा० 5 द्वारा नैसर्गिक कथन से भिन्न कथन किया है, ऐसे में उसके कथन पर बिना संपुष्टि के दोषसिद्धि किया जाना सुरक्षित नहीं है। दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.10.09 को 3:20 बजे ग्राम बिरखडी के पास भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर ट्रक क्रमांक एम०पी०-०७ एच०बी०-1012 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी जितेन्द्र कुमार को मोटरसाईकिल सहित टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

15. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश